स्कॉलरशिप के करोड़ों रुपये का महाघोटाला, 20 कॉलेज ब्लैकलिस्ट!

विषय सूची (Table of Contents):

>> प्रस्तावना (Introduction)...
>> राजस्थान स्कॉलरशिप घोटाला करोड़ों के फर्जीवाड़े में 20 कॉलेज और संस्थान ब्लैकलि...
>> सख्त कार्रवाई 6 पर स्थाई और 14 पर समयबद्ध प्रतिबंध...
>> घोटाले का तरीका फर्जी दस्तावेज और बंद पड़े कॉलेजों के जरिए उठाया सरकारी फंड...
>> बंद पड़े संस्थानों से भी भेजे गए ऑनलाइन आवेदन...
>> पोर्टल पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स की अपलोडिंग...
>> अपात्र छात्रों और डबल आवेदनों की मदद से लूटी गई पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति...
>> अपात्रों को बनाया पात्र और एक ही कोर्स पर दोबारा उठाई रकम...
>> 5 साल तक का बैन एमपी और आंध्र प्रदेश के दो बड़े मेडिकल कॉलेज भी लपेटे में...
>> इन बड़े मेडिकल कॉलेजों पर गिरी गाज...
>> स्कॉलरशिप पोर्टल से आउट संस्थानों की लॉगिन आईडी ब्लॉक, जल्द दर्ज होगी FIR...
>> डिजिटल एक्सेस पूरी तरह से खत्म...
>> आपराधिक मुकदमा और पुलिसिया कार्रवाई की तैयारी...
>> बिना वेरिफिकेशन बांटी गई रकम पेपरलेस योजना की एसओपी (SOP) का खुला उल्लंघन...
>> बिना किसी जांच-परख के आगे बढ़ाए गए फॉर्म...
>> सामाजिक न्याय विभाग की दोहरी जांच में खुली पोल, कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी...
>> दोहरी जांच समितियों की समयसीमा और रिपोर्ट...
>> निष्कर्ष (Conclusion)...
>> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न...

प्रस्तावना (Introduction)

शिक्षा के क्षेत्र में जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कई तरह की छात्रवृत्ति योजनाएं चलाती है। लेकिन जब इन योजनाओं में भ्रष्टाचार का घुन लग जाए, तो वास्तविक हकदार बच्चे पीछे छूट जाते हैं। ऐसा ही एक बड़ा मामला राजस्थान से सामने आया है, जिसने पूरे शिक्षा जगत को झकझोर कर रख दिया है।

राजस्थान सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप (उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना) में हुए करोड़ों रुपये के महाघोटाले पर कड़ा एक्शन लिया है। इस फर्जीवाड़े में शामिल देशभर के 20 बड़े कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को ब्लैकलिस्ट (बैन) कर दिया गया है। डिजिटल युग में ऑनलाइन सिस्टम में सेंध लगाकर इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया, जिसका खुलासा जांच रिपोर्ट में हुआ है।

यदि आप एक छात्र हैं और सही तरीके से स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपएनएमएमएस छात्रवृत्ति 2025-26: आवेदन आरंभ, ऐसे करें आवेदन...जानकर झूम उठेंगे आपपर जाकर सही प्रक्रिया देख सकते हैं, ताकि किसी भी तकनीकी या कानूनी समस्या से बचा जा सके।

राजस्थान स्कॉलरशिप घोटाला: करोड़ों के फर्जीवाड़े में 20 कॉले

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाए जाने के बाद देश के 20 संस्थानों पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग द्वारा जारीlatest updateके अनुसार, इस कार्रवाई की जद में आए 20 संस्थानों में से 16 कॉलेज अकेले राजस्थान के हैं, जबकि 4 संस्थान अन्य राज्यों से संचालित हो रहे हैं।

सख्त कार्रवाई: 6 पर स्थाई और 14 पर समयबद्ध प्रतिबंध

विभाग ने फर्जीवाड़े की गंभीरता को देखते हुए सभी दोषी संस्थानों को दो अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर दंडित किया है। इसमें से 6 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन पर परमानेंट (हमेशा के लिए) बैन लगा दिया गया है। वहीं, अन्य 14 संस्थानों पर उनकी संलिप्तता के आधार पर 3 से 5 साल तक का कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार की इस कार्रवाई से शिक्षा माफियाओं में हड़कंप मच गया है।

घोटाले का तरीका: फर्जी दस्तावेज और बंद पड़े कॉलेजों के जरिए

भ्रष्टाचार के इस खेल को इतने शातिराना ढंग से खेला गया कि विभाग के अधिकारी भी हैरान रह गए। संस्थानों ने सरकारी पोर्टल का गलत इस्तेमाल करते हुए भारी वित्तीय हेराफेरी की। इसके लिए कागजों पर ऐसे छात्रों की फौज खड़ी की गई, जिनका वास्तव में उस संस्थान से कोई लेना-देना ही नहीं था।

बंद पड़े संस्थानों से भी भेजे गए ऑनलाइन आवेदन

जांच में यह बेहद चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि कई ऐसे कॉलेज और तकनीकी संस्थान जो धरातल पर पूरी तरह चालू भी नहीं हुए थे, उनके नाम से भी छात्रवृत्ति के आवेदन धड़ल्ले से भेजे जा रहे थे। उदाहरण के तौर परचंदेल प्राइवेट ।टी।औरगुरुकृपा महाविद्यालयजैसे संस्थान अभी पूरी तरह क्रियाशील भी नहीं थे, लेकिन सरकारी पोर्टल पर इनके नाम से करोड़ों रुपये की स्कॉलरशिप के क्लेम सबमिट कर दिए गए थे।

पोर्टल पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स की अपलोडिंग

दोषी संस्थानों ने डिजिटल सिस्टम का फायदा उठाने के लिए छात्रों के नाम पर फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज, आय प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी कागजात

तैयार किए। इन जाली दस्तावेजों कीPDFफाइलें बनाकर स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपलोड कर दी गईं ताकि दूर से सब कुछ पूरी तरह वैध और सही नजर आए।

अपात्र छात्रों और डबल आवेदनों की मदद से लूटी गई पोस्ट मैट्रिक

इस घोटाले की गहराई केवल फर्जी दस्तावेजों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें नियमों को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया था। योजना के नियमों के अनुसार जो छात्र इस सहायता के हकदार नहीं थे, उन्हें भी इस अवैध नेटवर्क में शामिल किया गया।

अपात्रों को बनाया पात्र और एक ही कोर्स पर दोबारा उठाई रकम

>> अपात्रों का चयन:ऐसे विद्यार्थियों के नाम पर आवेदन स्वीकृत कराए गए, जो योजना की पात्रता शर्तों (जैसे आय सीमा या जातिगत श्रेणी) को पूरा नहीं करते थे।

>> डबल आवेदन (Double Application):कई मामलों में देखा गया कि जो छात्र पहले ही किसी विशेष कोर्स के लिए स्कॉलरशिप का लाभ उठा चुके थे, उन्हीं के नाम से दोबारा आवेदन फॉर्म भरकर पैसे निकाल लिए गए।

>> गैर-मान्यता प्राप्त कोर्स:जो विषय या व्यावसायिक कोर्स इस छात्रवृत्ति योजना के दायरे में शामिल ही नहीं थे, उनके आवेदनों को भी सांठगांठ करके पोर्टल से पास करवा लिया गया।

5 साल तक का बैन: एमपी और आंध्र प्रदेश के दो बड़े मेडिकल कॉले

यह घोटाला केवल छोटे निजी संस्थानों या आईटीआई कॉलेजों तक सीमित नहीं था। चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाले देश के नामचीन और प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज भी इस करोड़ों के फर्जीवाड़े में संलिप्त पाए गए हैं, जिन पर विभाग ने सबसे सख्त कदम उठाया है।

इन बड़े मेडिकल कॉलेजों पर गिरी गाज

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अन्य राज्यों के जिन चार कॉलेजों पर कार्रवाई की है, उनमें दो बड़े मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। विभाग ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्थितनारायणा मेडिकल कॉलेजऔर मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थितनेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेजपर पूरे 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इन दोनों बड़े चिकित्सा संस्थानों का नाम इस सूची में आने से चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी हड़कंप मच गया है।

शिक्षा के साथ-साथ यदि आप रोजगार के नए अवसरों की तलाश में हैं, तो आपचाहिए सरकारी नौकरी? तो इन पदों पर कर लें आवेदनके माध्यम से वर्तमान में निकली सरकारी भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं।

स्कॉलरशिप पोर्टल से आउट: संस्थानों की लॉगिन आईडी ब्लॉक, जल्द

राजस्थान सरकार ने इस वित्तीय गबन को रोकने के लिए तुरंत प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग की मंशा साफ है कि दोषी व्यक्तियों और संस्थाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और सरकारी धन की रिकवरी की जाएगी।

डिजिटल एक्सेस पूरी तरह से खत्म

कार्रवाई के तुरंत बाद, विभाग ने सभी 20 बैन किए गए संस्थानों की आधिकारिक लॉग-इन आईडी (Login ID) को ब्लॉक कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब ये संस्थान भविष्य में स्कॉलरशिप पोर्टल का उपयोग नहीं कर पाएंगे और न ही इनके माध्यम से कोई नया छात्रapply onlineकर सकेगा।

आपराधिक मुकदमा और पुलिसिया कार्रवाई की तैयारी

विभागीय प्रतिबंध तो केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन करोड़ों रुपये के सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के कारण अब इन सभी डिफ़ॉल्टर संस्थानों के खिलाफ संबंधित थानों में आपराधिक मुकदमे (FIR) दर्ज कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस जांच के बाद इस साजिश में शामिल कई कॉलेज संचालकों और अधिकारियों की गिरफ्तारी भी संभव है।

बिना वेरिफिकेशन बांटी गई रकम: पेपरलेस योजना की एसओपी (SOP) क

इस पूरे घोटाले के सफल होने के पीछे सबसे बड़ी वजह सिस्टम में मौजूद लापरवाही रही। सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की थी, लेकिन इसके नियमों का जमकर मज़ाक उड़ाया गया।

बिना किसी जांच-परख के आगे बढ़ाए गए फॉर्म

योजना के नियमानुसार, हर आवेदन की गहन जांच के लिए एकStandard Operating Procedure (SOP)तय की गई है। इसके तहत कॉलेज स्तर पर दस्तावेजों का भौतिक और डिजिटल वेरिफिकेशन होना अनिवार्य होता है। लेकिन इन संस्थानों ने बिना किसी वेरिफिकेशन और सत्यापन के सीधे ही आवेदनों को जिला कार्यालयों को फॉरवर्ड कर दिया। जिला स्तर पर भी मॉनिटरिंग की कमी के कारण यह फर्जीवाड़ा लंबे समय तक चलता रहा और करोड़ों रुपये बिना किसी रोक-टोक के ट्रांसफर होते रहे।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा के बेहतर अवसरों और वित्तीय सहायता के बारे में जानने के लिए आपकनाडा में फ्री पढ़ाई 1.5 लाख महीना! ऐसे करें स्कॉलरशिप आवेदनवाले लेख को विस्तार से पढ़ सकते हैं।

सामाजिक न्याय विभाग की दोहरी जांच में खुली पोल, कानूनी शिकंजा

इस घोटाले की सुगबुगाहट जब विभाग के आला अधिकारियों तक पहुंची, तो उन्होंने इस पर लीपापोती करने के बजाय मामले की तह तक जाने का फैसला किया। इसके लिए एक नहीं, बल्कि दो अलग-अलग उच्च स्तरीय जांच समितियों का गठन किया गया था।

दोहरी जांच समितियों की समयसीमा और रिपोर्ट

विभाग ने पूरे मामले को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए वर्ष 2025 में दो चरणों में जांच प्रक्रिया को पूरा किया, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

>> पहली जांच समिति:इस समिति का गठन 24 अप्रैल 2025 को किया गया था। समिति ने बारीकी से डेटा खंगालने के बाद 19 मई 2025 को अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी, जिसमें शुरुआती गड़बड़ी की पुष्टि हुई।

>> दूसरी जांच समिति:मामले की व्यापकता को देखते हुए 30 मई 2025 को एक और गहन जांच कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने 13 जून 2025 को अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की, जिसने घोटाले के पूरे तौर-तरीकों को बेनकाब कर दिया।

दोनों जांच कमेटियों की रिपोर्ट, जिला अधिकारियों के फीडबैक और पोर्टल के गहन डेटा विश्लेषण (Data Analysis) के आधार पर यह साबित हो गया कि इन संस्थानों ने एक सोची-समझी साजिश और मिलीभगत के तहत सरकार को गुमराह किया था। विभाग ने इन संस्थानों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भी दिया था, लेकिन या तो उनके प्रतिनिधि हाजिर नहीं हुए या उनके जवाब पूरी तरह असंतोषजनक पाए गए।

निष्कर्ष (Conclusion)

राजस्थान का यह स्कॉलरशिप घोटाला यह साबित करता है कि डिजिटल प्रणालियों के आ जाने के बावजूद मानवीय स्तर पर कड़ी निगरानी और ईमानदारी कितनी जरूरी है। सरकार द्वारा 20 संस्थानों को बैन करना, उनकी लॉगिन आईडी ब्लॉक करना और एफआईआर दर्ज कराने का फैसला एक स्वागत योग्य कदम है। इससे न केवल भ्रष्ट संस्थानों पर लगाम लगेगी, बल्कि भविष्य में छात्रवृत्ति योजनाओं में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। सरकार को अब यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस कार्रवाई के कारण किसी भी निर्दोष और वास्तविक पात्र छात्र का भविष्य प्रभावित न हो और उनका स्कॉलरशिपstatus checkकरने का सिस्टम हमेशा सुचारू रूप से चलता रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस घोटाले में शामिल होने के कारण सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने देशभर के कुल 20 कॉलेजों और संस्थानों को ब्लैकलिस्ट (बैन) किया है, जिसमें 16 राजस्थान के और 4 अन्य राज्यों के हैं।

गड़बड़ी की गंभीरता के आधार पर कुल 6 शिक्षण संस्थानों पर परमानेंट (स्थाई) प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 14 संस्थानों को 3 से 5 साल तक की

अवधि के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

हां, इस घोटाले में दो बड़े मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर का नारायणा मेडिकल कॉलेज और मध्य प्रदेश के जबलपुर का नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जिन दोनों पर 5-5 साल का बैन लगाया गया है.

प्रशासनिक कार्रवाई के तहत इन संस्थानों की पोर्टल लॉगिन आईडी को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। इसके साथ ही वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में इन सभी के खिलाफ जल्द ही एफआईआर (FIR) दर्ज कराई जा रही है।

इन संस्थानों ने पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए निर्धारित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का उल्लंघन किया और बिना किसी छात्र सत्यापन (Verification) के फर्जी दस्तावेज अपलोड कर सीधे आवेदन जिला कार्यालयों को भेज दिए।